



कार्यालय कलेक्टर (म0बा0वि0शाखा) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0

Email – dwdodantewada@gmail.com

क्रमांक / 1958 / स्था0 / मबावि / 2025-26

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29/01 / 2026

// प्रेस विज्ञप्ति //

संचालक संचालनालय मबावि इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग के पत्र क्रमांक / 7246 / मबावि / 2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01/10/2024 एवं क्रमांक 10478 / मबावि / मसनि / सखी-4 / 2024-25 नवा रायपुर दिनांक 27/11/2024 के परिपालन में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 4077 / दिनांक 14/11/2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेन्टर रायपुर के नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृती प्रदान की गई है। जिसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में सखी वन स्टॉप सेंटर में सेवाप्रदाताओं के रिक्त पद 1. पैरालीगल कार्मिक / वकील 2. कार्यालय सहायक 3. केस वर्कर 4. सुरक्षा गार्ड / रात्रि गार्ड में राज्य से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप पद पूर्ति किये जाने हेतु विज्ञापन जिले के वैबसाइट www.dantewada.nic.in में अपलोड किया जाना है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)

जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा छ0ग0

क्रमांक / 1959/स्था./मबावि/2025-26

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29/01/2026

// विज्ञापन //

संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 7246/मबावि/2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01/10/2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/मसनि/सखी-4/2024-25 नवा रायपुर दिनांक 27/11/2024 के परिपालन में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 4077/दिनांक 14/11/2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेन्टर रायपुर के नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृती प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेन्टर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदंड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेन्टर दन्तेवाड़ा में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 4/02/2026 से दिनांक 18/02/2026 तक समय प्रातः 10 बजे से 5:30 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी/ महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, जिला दन्तेवाडा (छ.ग) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवाशुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Roles & Responsibilities
01	पैरा लीगल कार्मिक/वकील	01 अना.	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गये कानूनी सलाहकारों के अनुपस्थित में, कानूनी परामर्श सेवा किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स की जा सकती है जिसके पास कानून की डिग्री हो/कानूनी प्रशिक्षण या कानूनों का ज्ञान हो और जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी महिला संबंधित परियोजना/कार्यक्रम में काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव हो या किसी भी अदालत में मुकदमेबाजी का कम से कम 2 साल का अनुभव	वह महिला को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित और निर्देशित करेगा और यदि वह ऐसा करने के लिए तैयार है, तो महिला को दुर्व्यवहार/हिंसा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने में मदद/मार्गदर्शन करेगा। • वह लोक अभियोजक या एसएलएसए/डी एलएसए वकील के साथ समन्वय/संपर्क करेगा, ताकि महिला का मामला अदालत में दायर होने के बाद भी उसका समर्थन किया जा सके और साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके


Naeem

					<p>रखने वाले किसी भी वकील को।</p> <p>कि मामले का तार्किक निष्कर्ष तक अनुसरण किया जाए।</p> <ul style="list-style-type: none"> • वह प्रभावित महिलाओं के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और अदालती सुनवाई से उसकी छूट की वकालत करेगा। • वह हिंसा से प्रभावित महिलाओं के बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग के माध्यम से त्वरित और परेशानी मुक्त पुलिस और अदालती कार्यवाही की सुविधा प्रदान करेगा।
2	कार्यालय सहायक	01 अना.	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	<p>ये सेवाएं किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स की जा सकती हैं, जो स्नातक हो और कम्प्यूटर/आईटी आदि में डिप्लोमा प्राप्त हो तथा उसे राज्य या जिला स्तर पर या गैर-सरकारी/आईटी आधारित संगठनों के साथ डाटा प्रबंधन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्रारूपों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>कार्यालय सहायक ओएससी में 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए शिफ्ट में काम करेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कार्यालय सहायक वेब आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं की विशिष्ट आईडी तैयार करेंगे। • वह केंद्र प्रशासक, परामर्शदाता, पैरामेडिकल, वकील और पुलिस सुविधा अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए केस इतिहास का दस्तावेजीकरण करेंगे और केस प्रबंधन के लिए कार्यवाही रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही वेब आधारित डेटा विकसित करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा प्रविष्टि संचालन आदि में मदद करेंगे। • वह ओएससी में सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। • वह उत्पन्न डेटा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त कार्यवाही का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि केस इतिहास दस्तावेजीकरण के प्रत्येक चरण में पीड़ित महिलाओं का नाम और अन्य विवरण गोपनीय रहें। • वह केस इतिहास का दस्तावेजीकरण करने के लिए पुलिस सुविधा अधिकारी/परामर्शदाता/पैरा

Handwritten signature

						<p>मेडिकल कार्मिक/पैरा लीगल कार्मिक की सहायता करेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> वह एमआईएस, वेब आधारित डाटा संग्रहण के आधार पर मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगा, जिसे प्रबंधन समिति को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र प्रशासक के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा।
3	केस वर्कर	01 अना.	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> कोई भी महिला जिसके पास विधि/समाजकार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हो और सरकारी या गैर-सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। वह स्थानीय समुदाय की निवासी होनी चाहिए ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके 	<ul style="list-style-type: none"> केस वर्कर ओएससी में 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए शिफ्ट में काम करेंगे। वह केंद्र प्रशासक को उन महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने में सहायता और समर्थन प्रदान करेगी जो ओएससी (ऑक्यूपेशनल सपोर्ट सेंटर) का लाभ उठा रही हैं। वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप करेंगी और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगी। वह केंद्र प्रशासक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होगी।
4	सुरक्षा गार्ड/रात्रि गार्ड	01 अ.ज. जा.	11360/- प्रतिमाह (लेवल-1)	45 वर्ष	<p>ये सेवार्यें किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स की जा सकती है जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास की हों तथा जिला/राज्य स्तर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। उसे अधिमानतः सेवानिवृत्त सैन्य/अर्ध-सैन्य कर्मी होना चाहिए।</p>	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा गार्ड/रात्रि गार्ड ओएससी में 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए शिफ्ट में काम करेंगे। सुरक्षा गार्ड/रात्रि गार्ड ओएससी की समय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। वह ओएससी में सभी पूंजीगत संपत्तियों, फर्नीचर और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें:

02. आयु सीमा:-

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।

Naejgh

- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जावेगी।
- 2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

**Ncegsb*

- 2.16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.18 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- 2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 2.20 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- 2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- 2.24 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
3. **नियुक्ति प्रक्रिया:**—सखी वन स्टॉप सेन्टर के सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु पुर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावेगा।
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मेरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के

Nceygh

20/11/20

- आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232 / 1538/सा/2024 / 50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।
- 3.11 अतः कंडिका 3.10 के अवलोकन में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावेगा।
- 3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 के उप कंडिका 2.4, 2.5 एवं 2.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी।
4. **नियुक्ति की अवधि:—**
- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथ नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

*Navya

- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4.5 चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 4.6 विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दन्तेवाड़ा के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट <https://dantewada.nic.in> पद पर देखी जा सकती है।
- 4.7 उक्त विज्ञापन पैरा लीगल कार्मिक/वकील, कार्यालय सहायक, केस वर्कर, सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड के पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

पृ0कमांक/1959A/स्था./मबावि/2026-27
प्रतिलिपि:-

1. संचालक,संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाडा (छ.ग) की ओर सादर सूचनार्थ।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, दिनांक 29/11/2026


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

आवेदन पत्र का प्रारूप
पूर्व में संचालित "सखी" वन स्टॉप सेन्टर

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-दंतेवाड़ा (छ.ग)

स्वयं द्वारा अभिप्रेमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो
पर हस्ताक्षर जिसका
आधा भाग फोटो एवं
आधा आवेदन पत्र में
होना चाहिए चस्पा
करे।

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-
- दूरभाषा/मोबाईल :-
6. जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :-
8. लिंग पुरुष/महिला :-
9. जाति/वर्ग (अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/सामान्य) जाति वर्ग
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है :-
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
13. शैक्षणिक योग्यता:- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

Nayab

.....

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :-.....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें):-.....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची:-

1. जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10 वीं की अंकसूची योग्यतानुसार।
2. 12 वीं अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1.....2.....3.....
4.....5.....6.....

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-

*Nayab

छत्तीसगढ़ की सभी
सरकारी नौकरी / जॉब / वेकेंसी का संग्रह

CgCareer (सी.जी. कैरियर) टेलीग्राम ग्रुप

CgCareer

टेलीग्राम चैनल



Telegram
Groups

चैनल में जुड़ने के लिए इस पेज में कहीं भी क्लिक करें